

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सागोट, (कोटा)
जिला - कोटा
राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण-पत्र



प्रमाणक: RJ/2017/राजस्व विभाग/अन्य पिछड़ा वर्ग /18119453701
दिनांक: 20-06-2018
आवेदक का आधार नम्बर : 321308779971
आवेदक / परिवार के मुखिया का भासाहाह कार्ड संख्या : 9999-21TR-00224

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

- 01 सुश्री शिवानी नागर पुत्र/पुत्री श्री शिवराज नागर राजस्थान राज्य के जिला कोटा पता- चोबीस, ग्राम गेहूखेडी पोस्ट खडिया, चतुर्मुजनाथ मंदिर के पास, गेहू खेडी, खारिया, सागोट, कोटा के/की निवासी है तथा ये और या इनका कुटुम्ब यहाँ स्थाई रूप से निवास करता है/करती है/करते है।
- 02 उक्त सुश्री शिवानी नागर राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं प.11(164) आर.एण्ड पी./एस.जे.ई.डी./09/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से 15 DHAKAD (15 थाकड) वर्ग/जाति के/की सदस्य है।
- 03 उक्त सुश्री शिवानी नागर आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के किमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्यात्मक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं प.7(8)आर्यात्मक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार किमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का/की नहीं है।

नोट :

1. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.एफ.21(37) एस.जे.ई. कम्प्यू. ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
2. उपरोक्त प्रमाण-पत्र किरोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात जिनमें कोई सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निदिक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
4. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
5. प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोकन संख्या : 180123984132

राज्य के पिछड़े वर्गों के लिये राजस्थान सरकार के अधीन सेत जो वे नियुक्तियों और पदों तथा अन्य की श्रेणियों संख्याओं में कोटों में आरक्षण के प्रयोजनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, सागोट, (कोटा)

Signature valid

Digitally signed by Kunal
Kumar Meena
Date: 2018.06.20 16:45:36
+05:30
Reason: Approved
Location: Rajasthan



S

2205031